

(3)

आौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत समझौता मध्य श्रमिक
 श्री हरवीर सिंह व प्रबन्धक मै १०८८ इन्हें गुड़गांव के मध्य हुआ।
 उपोग विद्युत फसल ३ बुड़गांव

श्रमिक की तरफ से

खंडन की हरवीर सिंह

प्रबन्धकों की तरफ से

मी उपर्युक्त घटना

विवाद का संक्षिप्त विवरण

मांग पत्र दिनांक 16-9-2014

समझौते की शर्तें

दोनों पक्षों में तय पाया कि प्रबन्धक श्रमिक को दिनांक 1-1-2015 से पिछली सर्विस लगातार मानते हुए ड्यूटी पर ले लेंगे। यह भी तय पाया कि श्रमिक दिनांक 13-9-2014 से 31-12-2014 तक की अवधि का टूटे हुए दिनों के वेतन का अधिकारी नहीं रहेगा। श्रमिक ने आश्वासन दिया कि वह कारखाने में अनुशासन में रहकर निष्ठा व लग्न पूर्वक कार्य करेगा, दूसरी तरफ प्रबन्धक ने भी आश्वासन दिया कि वह भी श्रमिक के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करेंगे। इस समझौते के उपरान्त मांग पत्र दिनांक 11-12-2014 का पूर्णतया निपटारा हो जाता है।

श्रमिक के हस्ताक्षर

प्रबन्धक के हस्ताक्षर

Talaluddin Ansari
11/12/2014

Shekhar

गवाह के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर हुए

1. Talaluddin Ansari

2.

दिनांक:- 11-12-2014

श्रम तथा समझौता अधिकारी,
सर्कल-1 गुड़गांव।



ATTESTED

EXAMINER

Received
Date 11-12-2014
Copy